न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 16/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
देवाराम पुत्र समूजी, जाति खवास,निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर		सरपंच,ग्राम पंचायत आहोर

अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19894 विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत आहोर,दिनांक 17.6.2017(नोटिस कमांक 237)

उपस्थिति :–

1.श्री बसन्तकुमार गहलोत,,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।

2.श्री चतराराम,अभिभाषक,अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय — दिनांक 17.7.2019

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आहोर में पुराना बस स्टेण्ड पर प्रार्थी का एक किरायासुदा दुकान 5 गुणा 7 फीट की आई हुई है जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित की हुई हैं जिसमें प्रार्थी करीब 45वर्षो से किरायेदार है। उक्त दुकान में प्रार्थी हैयर सैलून के कार्य संचालित करता है । प्रार्थी दिव्यांग है। ग्राम पंचायत आहोर के कुछ लोगों के बहकावे में आकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत के कर्मचारी प्रार्थी की दुकान को ध्वस्त कर तोडफोड करना चाहते है जबकि किरायेदार को विधिक प्रकिया अपनाये बिना किराया परिसर से बेदखल नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की दुकान ध्वस्त करने का नोटिस उसने दुकान पर दिनांक 17.6.17 को चस्पा किया गया जिस नोटिस की मूल प्रति मांगने पर ग्रामसेवको की हडताल होने से नकल नही दी जाना ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया। अतः ऐसी सूरत में प्रार्थी मूल नोटिस प्रस्तुत करने की उन्मुक्ति चाहते हुए यह निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इस हेतु अलग से आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी.के तहत् अलग से प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस कमांक 237दिनांक 17.6.2017 निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थनापत्र आदेश41 नियम 1(1)सी.पी.सी. बाबत् नोटिस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में उन्मुक्ति बाबत् मय शपथपत्र पेश तथा फहरिस्त के साथ नोटिस की फोटो प्रति आदि नकले पेश की, जिस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी की निगरानी का अप्रार्थी की ओर से दिनांक 15.1.2018 को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि केबिन के लिए प्रार्थी को दी गई जगह का नाप 5फीट गुणा 5फीट मात्र है।प्रार्थी से मासिक किराया नही लिया जाकर तह बाजारी के तहत् दैनिक आधार पर किराया लिया जाता है जो सुविधा की दष्टि से प्रार्थी द्वारा एक मुश्त जमा करवाया जाता है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आहोर की अनुमति से उसे केबिन रखने के लिए दी गई जमीन पर पक्का निर्माण कर दिया व वहां से गुजर रही नाली पर भी अतिक्रमण कर दिया गया है जिसके चलते प्रार्थी को ग्राम पंचायत आहोर द्वारा नोटिस कमांक 233 दिनांक 12.6.2017 जारी कर आमचौहटे पर चस्पा किया गया था,इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर दिनांक 17.6.2017को प्रार्थी को नोटिस दिया गया जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर उसकी दुकान पर चस्पा किया गया। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में बताये गये तथ्यों को दोहराया व बताया कि प्रार्थी की एक किराया सुदा दुकान पुराना बस स्टेण्ड 5फीट गुणा 7 फीट की आई है।प्रार्थी 45 वर्षो से किरायेदार है। प्रार्थी दिव्यांग है,ग्राम पंचायत आहोर के कुछ कर्मचारी दुकान को ध्वस्त कर तोडफोड करना चाहते है जबकि किरायेदार को विधिक प्रकिया अपनाये बिना किराया परिसर से बेदखल नही किया जा सकता। अप्रार्थी ने दुकान को ध्वस्त करने का नोटिस दुकान पर चस्पा किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी का नोटिस खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी के वकील ने बताया कि अप्रार्थी ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है जिससे ग्राम पंचायत आहोर द्वारा नोटिस सही पारित किया गया है, अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। सरपंच,ग्राम पंचायत अनुसार प्रार्थी देवाराम ने मौजा आहोर में ग्राम पंचायत की भूमि पर बाल कटिंग की दुकान डालने के लिए केबिन लगाया था जिसके तहत् प्रार्थी से किराया लिया जाता था। पुराना बस स्टेण्ड आहोर व सत्यनारायण मंदिर तक ग्राम पंचायत आहोर द्वारा पक्का सीमेन्टेड रास्ता निर्माण करवाने के तहत् वहां से गन्दे पानी की निकासी की नाली को दुरस्त किया जाना था ,प्रार्थी को केबिन रखने के लिए दी गई भूमि पर पक्का निर्माण कर दिया तथा वहां से गुजर रही नाली पर भी अतिक्रमण कर दिया गया जिसके चलते प्रार्थी को ग्राम पंचायत आहोर द्वारा नोटिस कमांक 233 दिनांक 12.6.2017 जारी कर आमचौहटे पर चस्पा किया गया था व दिनांक 17.6.2017(क्रमांक 237) से प्रार्थी को जारी नोटिस की प्रति प्रार्थी की दुकान पर चस्पा की गई।

ग्राम पंचायत आहोर द्वारा उक्त अतिक्रमण हटवाने बाबत् प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 5.6.17 लिया हुआ है जिसके तहत् यह प्रार्थी का अतिक्रमण हटवाने हेतु कार्यवाही की गई है। प्रार्थी ग्राम पंचायत आहोर की बिना ईजाजत के पक्का निर्माण नही कर सकता। किरायेदार दुकानवालो ने अगर पंचायत की दुकान पर नाली के उपर छीणे वगैराह डालकर पक्का अतिक्रमण कर रखा है तो ग्राम पंचायत आहोर को दुकानदार किरायेदार को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रार्थी को नोटिस दिया गया है जो ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर के नोटिस कमांक 237 दिनांक 17.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d. 17/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 17.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 17/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:13:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: